न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी रामचरण शर्मा आर.ए.एस

प्रकरण सं0 77/अपील/18 तारीख दायरा 25.06.18

लक्ष्मीनारायण आ0 अमर सिंह जाति गुर्जर निवासी जालिमपुरा तहसील अकलेरा
------------------अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा
----------------रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 06.03.18 मि0न0 178/18

उपस्थितः-

-:: निर्णय ::- दिनांक 03.08.18

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 06.03.18 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम जालिमपुरा की आराजी ख0न0 41 की 10 बिस्वा भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 28/-रू0 जुर्माना व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की है। अपील मेमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्रावली सग्रहसार के सर्वथा विरूद्ध होने से निरस्तनीय है-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का सही तरह से अवलोकन नही किया है तथा अपीलान्ट को भी सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नही है तथा जुर्माना राशि भी जमा करा दी हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट आज न्यायालय समय समाप्त होने तक भी हाजिर अदालत नही हुए है- अतः हम इस अपील को अदम हाजरी मे खारिज करने की बजाय इस अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते हे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलान्ट यह कह कर आया है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा नहीं है-अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया था वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार भी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से जाहिर होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है। इसलिए हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.18 में हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ लौटाई जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 03.08.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामचरण शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड